नियम 49–0 "राइट टू रेजेक्ट" और "नन ऑफ द अबव्" पर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. नियम 49–0 क्या है?

चुनाव संचालन नियमावली 1961 का एक नियम है 49–0 जो मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार देता है। यदि मतदाता अपनी चुनावी संख्या रजिस्टर में (Form No. 17 A) और अपने हस्तक्षर या अँगूठे के छाप नियम 49 L के उपनियम (1) के तहत दर्ज करने के पश्चात अपना वोट नहीं रिकॉर्ड करने का निर्णय लेते हैं,तो पीठासीन अधिकारी द्वारा फॉर्म 17 A में मतदाता के नाम के समक्ष उसके हस्ताक्षर या अँगूठे के छाप लिए जाएँगे और उसके इस निर्णय को दर्ज किया जाएगा।

(http://lawmin.nic.in/ld/subord/cer1.htm)

2. नियम 49–0 की क्या जरूरत है?

यदि मतदाता यह राय रखता है कि चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों में से कोई भी उसके वोट का हकदार नहीं है, तो मतदाता अस्वीकृति का वोट देने के लिए सक्षम होना चाहिए। मत देने के अधिकार में अस्विकृति का वोट देने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए।

3. "नन ऑफ द अबव्" (ना–पसंदी) विकल्प क्या है?

NOTA, आधिकारिक तौर पर एक मतदाता को चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारो को अस्वीकृति का वोट देने में सक्षम बनाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार NOTA विकल्प हर एक इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (इ.वी.एम) में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि मतदाता अस्वीकृति का वोट देने में सक्षम हों।

4. NOTA विकल्प किस लिए जरूरी है?

इ.वी.एम. का प्रयोग शुरु होने के पहले, मतदान, मतपात्रों (Ballot Paper) के द्वारा होता था, अतः मतदाता, मतपात्र पर अंकन के बिना, अपना वोट डाल देते थे। इस कारण उनका मतदान, उम्मीदवारों की अस्वीकृति के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता था। इ.वी.एम के जरिये ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए NOTA विकल्प जरूरी है।

5. नियम 49–0 के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है?

मतदाता की चुनावी संख्या रजिस्टर में दर्ज करने पर और उसकी पहचान करने के बाद उसका हस्ताक्षर/अँगूठा की छाप, उसके नाम के समक्ष दर्ज होता है। इसके बाद मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न देने के अपने निर्णय की जानकारी पीठासीन अधिकारी को देता है। अधिकारी, मतदाता के नाम के खिलाफ "रिफ्यूज्ड टू वोट" दर्ज कर देता है। अधिकारी और मतदाता दोनों को अपने हस्ताक्षर /अँगूठा की छाप इस कथन के पास दर्ज करने होते हैं।

http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/HandBooks/Handbook_for_Presiding_Officers.pdf)

6. नियम 49–0 का मतदाता के लिए क्या लाभ है?

यह मतदाता के लिए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान करता है। यह फर्जी मतदान पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है क्योंकि कोई आदमी किसी और को प्रतिरूपित कर के, उसकी जगह से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

7. नियम 49–0 का मतदाता के लिए क्या नुकसान है?

इससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है क्योंकि मतदाता पीठासीन अधिकारी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करता है, और अधिकारी मतदाता सूची में, मतदाता के नाम के समक्ष उसके इस निर्णय को दर्ज करता है। ऐसे मतदाता, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से पीड़ित होने के खतरे में रहते हैं।

8. नियम 49–0 के तहत की गई प्रविष्टियों का क्या होता है?

ऐसी प्रवृष्टियों की संख्या का फॉर्म 17–A में दर्ज होना अनिवार्य है। निर्वाचन सदन के आदेशानुसार, इन प्रविष्टियों का निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार संकलन करना और आयोग के पास इस सूची का पहुँचना जरूरी है। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से भी प्राप्त करी जा सकती है।

http://eci.nic.in/eci_main/CurrentElections/ECI_Instructions/ins17032011A.pdf)

9. क्या नियम 49–0 का चुनाव परिणामों पर प्रभाव होता है?

ऐसा माना जाता है कि इन मतदाताओं ने वोट नही डाला है। मत गणना में उनके वोट नही शामिल होते हैं और सबसे ज्यादा वोट जीतने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाता है चाहे उसके जितने का मार्जिन कितना ही हो।

(http://eci.nic.in/eci_main/press/current/pn051208.pdf)

10. नियम 49–0 पर निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है?

निर्वाचन आयोग ने सरकार से बार बार निवेदन किया है कि वे कानून में संशोधन करें और "नन ऑफ द अबव्" का विकल्प इ.वी.एम. में उपलब्ध कराएं। यह सुझाव अभी लंबित हैं और अब तक कोई कार्रवाई नही हुई है।

11. क्या नियम 49–0 का मुद्दा कानूनी तौर पर किसी के द्वारा उठाया गया है?

PUCL ने 2004 में उच्चतम न्यायालय में, कानून में संशोधन करने के लिए एक PIL दायर करी थी, ताकि NOTA विकल्प EVM में उपलब्ध हो सके। 2009 में उच्चतम न्यायालय ने इस PIL को संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।